चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). राजापहआज दिनाँक 24.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया तथा ड्रील कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा में जाकर थानों से आयी चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण कर कर्मचारियों का अर्दली रुम किया गया ।
परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमौल शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा 04 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।
थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.रामेश्वर प्रसाद उर्फ राजू दुबे पुत्र गोपीनाथ निवासी ग्राम डोडियामाफी थाना बरगढ़ 2.राजू द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद निवासी ग्राम बरगढ़ थाना बरगढ़ 3.शेरू अंसारी पुत्र मो0 शहीद निवासी ग्राम कोलमजरा थाना बरगढ़ 4.नीरज द्विवेदी पुत्र केशरी प्रसाद द्विवेदी निवासी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 1800/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 920/- रुपये बरामद किए गए।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमौल शर्मा
2.आरक्षी उपेन्द्र कुमार
3.आरक्षी गौरीशंकर दुबे
4.आरक्षी दीपू यादव
5.आरक्षी हेमन्त यादव
6.आरक्षी भानू यादव
7.आरक्षी आरक्षी अभिषेक यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 38 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी शिवनरेश व आरक्षी वीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना भरतकूप द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र रामअवतार निवासी भैंसौधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 19 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री रूपनारायण सिंह मय हमराह रि0आरक्षी शशिकोष तिवारी थाना मारकुण्डी द्वारा अभियुक्त चुनवाद पुत्र गोरेलाल निवासी छिवलहा थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह एवं उनकी टीम द्वारा गाय की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23/07/2026 को लालमन पुत्र स्व0 रामसिया निवासी ग्राम साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के द्वारा तहरीर दी गई की रज्जब पुत्र स्व0 मोला निवासी ग्राम डोमन खेड़ा गढ़ीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के धान की खेत में वादी की गाय चली जाने पर वादी की गाय को रज्जब द्वारा बरछी से वार कर दिया गया। जिससे गाय की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 152/2026 धारा 3ग/8 उत्तर प्रदेश गौ निवारण अधिनियम बनाम रज्जब उपर्युक्त पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह एवं उनकी टीम द्वारा नामित आरोपी रज्जब पुत्र स्व0 मोला निवासी मुस्लिम पुरवा मजरा गढ़ीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह
2.रि0आरक्षी मृगांक पाठक
3.रि0आरक्षी आशीष कुमार

कृपया खोजने में मदद करें
गुमशुदा का नाम- सर्वजीत पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान उम्र करीब 08 वर्ष निवासी ग्राम सोढ़रा थाना मरदह जनपद गाजीपुर
हुलिया– इकहरा मजबूत जिस्म, गेहुआं रंग,गोल चेहरा, आंख, नाक , कान औसत
लम्बाई- करीब 04 फीट 01 इंच
पहनावा- काली सर्ट,काला पैन्ट,पैरो में नीले और सफेद रंग के जूते
कृपया उपरोक्त गुमशुदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सूचना देने का कष्ट करें।
क्षेत्राधिकारी नगर-
9305101116 / 9454401356
विवेचना अधिकारी थाना एएचटी
9415289268
सोशल मीडिया सेल नं0-
7839855303

कृपया खोजने में मदद करें
गुमशुदा का नाम- आदित्य कुमार पुत्र दिलीप कुमार साह निवासी हरिलोचनपुर तिसवारा थाना सरायगंज,जिला समस्तीपुर,बिहार उम्र करीब 14 वर्ष

हुलिया– इकहरा मजबूत जिस्म, गेहुआं रंग,गोल चेहरा, आंख, नाक , कान औसत
लम्बाई- करीब 5 फीट 00 इंच
पहनावा- साधारण वस्त्र जैसा फोटो में प्रदर्श है।
कृपया उपरोक्त गुमशुदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सूचना देने का कष्ट करें।
क्षेत्राधिकारी नगर-
9305101116 / 9454401356
विवेचना अधिकारी थाना एएचटी
9415289268
सोशल मीडिया सेल नं0-
7839855303

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय द्वारा घर में घुसकर युवती से छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व कुल 81000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय,पैरोकार आरक्षी आकाश व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 24.07.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2022 धारा 452,376,354ग,506 भादवि0 व 67 आईटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.मोनू सिंह उर्फ सुमित सिंह पुत्र लाला सिंह 2.सुगम सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह 3.अभिनव पटेल उर्फ दादू पुत्र रामनारायण पटेल निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास व 27000/-27000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.2022 को एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गई कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पटेल,मोनू सिंह उर्फ सुमित सिंह,सुगम सिंह व अभिनव पटेल द्वारा वादिया के घर में घुसकर जबरजस्ती बलात्कार करना,छेड़खानी करते हुए वीडियो बनाकर प्रसारित करना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना । सूचना के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 153/2022 धारा 452,376,354ग,506 भा0द0वि0 व 67 आईटी एक्ट बनाम उपर्युक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गुलाब त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की गयी थी । आरोपी को दिनांक 30.09.2022 को गिरफ्तार कर दिनाँक 19.10.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।